मोड़ने का जो प्रयत्न उन्होंने किया है, वह भी असफल प्रतीत होता है । उक्त क्षेत्र में यमुना की बाढ़ आ गई है और नदी के पानी ने खरबूजे और करेले की खेती करने वाले किसानों की भूमि और उनकी झोंपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया है । यमुना नदी का तेज बहाव अभी भी खेतों को काट रहा है और फसलों को बरबाद कर रहा है ।

बाढ़ नियंत्रण विभाग ने फसलों की क्षति पूर्ति के लिए किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की है, लेकिन एक तो इसमें बहुत थोड़े किसानों को लिया गया है और दूसरे मुआवजे की रकम काफी कम रखी गई है और मुआवजा देने की कार्यवाही में काफी देर की जा रही है । बहुत से किसानों को, जिनकी फसल बराबर हुई है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इससे वहां बड़ा असंतोष है । साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण के कर्मचारी इन किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ मानवीय सलूक नहीं कर रहे हैं । यहां तक कि अपनी झोंपड़ियों तक आने जाने के लिये यमुना और उसकी उप-धाराओं को पार करने के लिये वे नौका भी उन किसानों को नहीं देते ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन किसानों की क्षति का ठीक प्रकार से अन्दाजा लगाया जाए । इनको मुआवजे की रकम बाजार भाव से दी जाये तथा यह रकम उनको शीघ्र दी जाए ताकि जिन लोगों की खेती बरबाद हो गई है, वह मुआवजा लेकर अपने घरों को वापस जा सकें । साथ ही साथ वहां खेती करने वाले किसानों के लिये यमुना और उसकी उप-धाराओं को आर-पार करने के लिये नौका की व्यवस्था की जाये । वहां सस्ते गल्ले और मिट्टी के तेल की दुकान खोली जाये तथा उनकी चिकित्सा के लिये चलते-फिरते हस्पताल भेजे जायें ।

(vii) Measures for assistance to small and regional newspapers.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर प्रकाशित होने वाले छोटे और भाषायी समाचार-पत्रों की जो दुर्दशा इस समय हो रही है, वैसी पहले कभी नहीं थी । दिन-प्रतिदिन कागज और छपाई के दाम बढ़ रहे हैं । समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन करने से पता चलता है कि जिला स्तर पर प्रकाशित होने वाले कई समाचार-पत्र एक दो अंक निकलने के बाद ही बन्द हो जाते हैं । इसका प्रमुख कारण यही है कि सरकार द्वारा लघु समाचार-पत्रों को उचित सहायता नहीं दी जाती है । लघु समाचार-पत्रों को छोटे उद्योगों की श्रेणी में रखा जाना चाहिये ।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि संचार के सभी माध्यम या तो सरकार के नियंत्रण में हैं या बड़े-बड़े उद्योग समूहों के नियंत्रण में हैं । लोकतंत्र की सुरक्षा के लिये यह अति-आवश्यक है कि छोटे और भाषायी पत्रों को सब प्रकार की सरकारी सुविधा प्रदान की जाये ।

1. सरकार को चाहिये कि लघु समाचार-पत्रों को प्रेस लगाने के लिये एक लाख रुपये तक की राशि आसान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी जाये ।

2. छोटे अखबारों को लघु उद्योग मानकर उन्हें सभी केन्द्र शासित राज्यों व सभी राज्य सरकारों द्वारा वरियता के आधार पर प्रेस लगाने के लिये औद्योगिक शैड या रियायती दर पर भूमि आबंटित की जाये ।

3. छोटे अखबारों को सरकारी विज्ञापन देने के लिये न्यूनतम अवधि को (पत्र प्रकाशन के बाद) चार महीने से घटाकर एक महीना किया जाये ।

4. सरकारी विज्ञापन की कुल निर्धारित राशि का एक उचित भाग लघु समाचार-पत्रों के लिए सुरक्षित किया जाये ।

5. लघु समाचार-पत्रों को जो डाक-शुल्क देना पड़ता है उसमें कमी की जायें । वह शुल्क वर्तमान शुल्क के आधे से अधिक नहीं होना चाहिो

(viii) Inclusion of Nepali language in the Eighth Schedule to the Constitution.